

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठारसीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 91 सन 2022

अनवान :-

1. राजेश पुत्र श्रीचन्द जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्रीचन्द्र पुत्र अमीलाल जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2. आनन्द पुत्र श्रीचन्द जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
3. कगलेश पुत्री श्रीचन्द पत्नी प्रेम कुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरिया उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. रंजु पुत्री श्रीचन्द पत्नी सुभाष जाति कुम्हार निवासी रामपुरिया उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 27/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 183/183 की कुल 0.2530 हैक् एव रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 94/82 की कुल 1.5180 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बुधराम वल्द गंगाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बुधराम वल्द गंगाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बुधराम वल्द गंगाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा /बाहमी बटवारा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता बुधराम वल्द गंगाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की

23

जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 183/183 की कुल 0.2530 हैक् एव रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 94/82 की कुल 1.5180 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बुधराम वल्द गंगाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बुधराम वल्द गंगाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बुधराम वल्द गंगाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काशत करते आ रहे हैं जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 183/183 की कुल 0.2530 हैक् एव रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 94/82 की कुल 1.5180 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि बुधराम वल्द गंगाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बुधराम वल्द गंगाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा बुधराम वल्द गंगाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि वाद भूमि का वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

क

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 183/183 की कुल 0.2530हैक् एव रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 94/82 की कुल 1.5180हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है मे से निम्नप्रकार विभाजन किया जाता है।

वादी के पास रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 94/82 के प0न0 385/436(16) किला न0 12/0.2530हैक् व किला न0 9 की 7 बिस्वा भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 94/82 के प0न0 385/436(16) किला न0 9/10 बिस्वा , किला न0 7/17 बिस्वा , 9/1 बिस्वा आड पूर्व से पश्चिम व 2 बिस्वा रास्ता जिसमें से 1 बिस्वा पूर्व – पश्चिम व दुसरा 1 बिस्वा उत्तर से दक्षिण एवं मु0न0 16 के किला न0 7 की 2 बिस्वा रास्ता जिसमें 1 बिस्वा पूर्व से पश्चिम में 1 बिस्वा उत्तर से दक्षिण भूमि रहेगी।


प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 94/82 के प0न0 385/436(16) किला न0 4/0.2530 ,किला न0 5 में से 6 बिस्वा व किला न0 7 की 1 बिस्वा भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 कमलेश के पास रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 94/82 की के प0न0 385/436(16) किला न0 6/0.2530 ,किला न0 5 में 7 बिस्वा भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 183/183 के प0न0 385/435(1) के किला न0 25 की 0.2530हैक् एव रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 94/82 के प0न0. 385/436(16) के किला न0 5 की 7 बिस्वा भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 100/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. राजेश पुत्र श्रीचन्द जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 श्रीचन्द्र पुत्र अमीलाल जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
- 2 आनन्द पुत्र श्रीचन्द जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
- 3 कमलेश पुत्री श्रीचन्द पत्नी प्रेम कुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरिया उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
- 4 संजु पुत्री श्रीचन्द पत्नी सुभाष जाति कुम्हार निवासी रामपुरिया उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
- 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 91 सन 2022 निर्णय दिनांक- 27/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 183/183 की कुल 0.2530हैक् एव रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 94/82 की कुल 1.5180हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है मे से निम्नप्रकार विभाजन किया जाता है।

वादी के पास रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 94/82 के प0न0 385/436(16) किला न0 12/0.2530हैक् व किला न0 9 की 7 बिस्वा भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 94/82 के प0न0 385/436(16) किला न0 9/10 बिस्वा , किला न0 7/17 बिस्वा , 9/1 बिस्वा आड पूर्व से पश्चिम व 2 बिस्वा रास्ता जिसमें से 1 बिस्वा पूर्व - पश्चिम व दुसरा 1 बिस्वा उत्तर से दक्षिण एवं मु0न0 16 के किला न0 7 की 2 बिस्वा रास्ता जिसमें 1 बिस्वा पूर्व से पश्चिम में 1 बिस्वा उत्तर से दक्षिण भूमि रहेगी।


प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 94/82 के प0न0 385/436(16) किला न0 4/0.2530 ,किला न0 5 में से 6 बिस्वा व किला न0 7 की 1 बिस्वा भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 कमलेश के पास रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 94/82 की के प0न0 385/436(16) किला न0 6/0.2530 ,किला न0 5 में 7 बिस्वा भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 183/183 के प0न0 385/435(1) के किला न0 25 की 0.2530हैक् एव रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 94/82 के प0न0. 385/436(16) के किला न0 5 की 7 बिस्वा भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 100/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )